



सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश सरकार

शहरी स्थानीय निकाय

पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन

एवं पर्यवेक्षण के निर्बन्धनों के अधीन

31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)

उत्तर प्रदेश

विषय सूची

विषय	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
अध्याय-।		
शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढाँचा	1.2	2-3
शहरी स्थानीय निकाय का कार्यकलाप	1.3	3
लेखापरीक्षा प्रबन्धन	1.4	3
लेखापरीक्षा आच्छादन	1.5	4
निधियों का आवंटन	1.6	4
निधियों का स्रोत	1.7	4
निधियों की अवमुक्ति	1.8	5
आन्तरिक नियन्त्रण	1.9	6-7
सम्प्रेक्षित शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति (2004-05)	1.10	7-8
सम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण न किया जाना	1.11	8
लेखों का प्रमाणीकरण	1.12	8
3.99 करोड़ रुपये के दायित्व, जिसका भुगतान नहीं किया गया	1.13	8
रु 1.05 लाख की क्षति	1.14	9
लेखा का मिलान न किया जाना	1.15	9
रुपया 2.26 करोड़ की निधि का अवरुद्ध होना	1.16	9
निष्कर्ष	1.17	9
संस्तुतियाँ	1.18	10

अध्याय-II		
स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन		
प्रस्तावना	2.1	12
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.2	12-13
लेखापरीक्षा मानक	2.3	13
लेखापरीक्षा प्रणाली एवं कार्यक्षेत्र	2.4	13
निधि आवंटन प्रणाली	2.5	13
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.6	13
वित्तीय परिव्यय	2.6.1	14
स्वच्छता	2.6.2	14
मार्गों/सड़कों की सफाई	2.6.2.1	14-16
अनुबन्ध पर व्यक्तिगत सफाई कर्मियों के नियोजन से अनियमित व्यय	2.6.2.2	16
परिहार्य व्यय	2.6.2.3	16-17
असमायोजित/अवसूलित अग्रिम	2.6.2.4	17
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (ठो0अ0प्र0)	2.6.3	17
नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का अनुचित संग्रहण एवं पृथक्करण	2.6.3.1	17-18
नगर पालिका ठोस अपशिष्टों का अप्राधिकृत कालोनियों में निस्तारण	2.6.3.2	18
नगर पालिका ठोस अपशिष्टों का परिवहन	2.6.3.3	18-19
ठोस अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र	2.6.3.4	19
नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का शोधन	2.6.3.5	20-21
मौजूदा भूमिभरण स्थलों का सुधार न किया जाना	2.6.3.6	21
भविष्य में उपयोग हेतु भूमिभरण स्थलों को चिन्हित किया जाना	2.6.3.7	21-22
कारकस प्लान्ट पर परिहार्य व्यय	2.6.3.8	22-23
गैर कानूनी बंध गृहों का संचालन	2.6.3.9	23
जैव चिकित्सा अपशिष्ट	2.6.4	24
जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण	2.6.4.1	24-25
संस्थागत सुदृढीकरण	2.7	25
सूचना प्रबन्धन प्रणाली	2.8	26
अनुश्रवण	2.9	26
संस्तुतियाँ	2.10	26-27
सरकार की प्रतिक्रिया	2.11	27

अध्याय-III		
लेनदेनों की लेखापरीक्षा		
नगर निगम की रु 408.01 करोड़ की भूमि पर अनधिकृत कब्जा	3.1	28-29
अपूर्ण कार्य पर 50.00 लाख का निष्फल व्यय	3.2	29
भविष्य निधि, अंशदायी पेंशन एवं सेवा परिलब्धियों के रु 22.47 करोड़ को क्रेडिट न किये जाने के कारण अनिस्तारित दायित्व	3.3	30
स्टाम्प शुल्क अनारोपण/कम आरोपण किए जाने के कारण रु 12.24 लाख की राजस्व क्षति	3.4	30
रु0 8.54 करोड़ के अग्रिम का समायोजन/वसूली न किया जाना	3.5	31
रु0 26.64 लाख का निष्फल व्यय	3.6	31-32

परिशिष्टियाँ		
परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
I.	नगर निगमों की वित्तीय स्थिति	33
II.	नगर पालिका परिषद की वित्तीय स्थिति	34
III.	नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति	35-36
IV.	सफाई कर्मियों के करार पर लगाने से अनियमित व्यय	37
V.	नगर पालिका टोस अपशिष्टों का परिवहन	38
VI.	नगर निगम मेरठ की योजनाओं की सूची	39
VII.	स्टाम्प शुल्क अनारोपण/कम आरोपण किये जाने से रु0 12.24 लाख राजस्व की क्षति	40

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी दिशा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण (टी0जी0एस0) के निर्बन्धनों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, जैसा कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया था।
2. इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। अध्याय-1 में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों के लेखों पर प्रेक्षण एवं टिप्पणियों सहित उनके क्रियाकलापों का संक्षिप्त परिचय है तथा अध्याय-2 में निगमों में सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर समीक्षा और अध्याय-3 में इन निकायों के निरीक्षण पर आधारित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हैं।
- 3- प्रतिवेदन में उद्धृत प्रकरण वे हैं जो वर्ष 2005-06 के दौरान एवं पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा/निरीक्षण के क्रम में प्रकाश में आये थे। अप्रैल 2005 से मार्च 2006 की अवधि में 5 नगर निगमों, 16 नगर पालिका परिषदों एवं 32 नगर पंचायतों के लेखे व अन्य अभिलेख निरीक्षित किए गए थे। सभी 5 नगर निगमों और 16 नगर पालिका परिषदों की नमूना लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (अधिकार, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अधीन सम्पादित की गयी थी।

अध्याय— I

शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन—


1.1 प्रस्तावना

74वें संविधान संशोधन में स्थानीय शहरी निकायों में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, और अधिक कार्यो एवं निधियों का अन्तरण एवं हस्तान्तरण का मार्ग प्रशस्त किया। परिणामस्वरूप, एक त्रिस्तरीय ढाँचे, नगर निगमों (न.न.), नगर पालिका परिषदों (न.पा.प.) और नगर पंचायतों (न.पं.) को और अधिक विविधतापूर्ण जिम्मेदारियों हस्तांतरित की गई। 74वें संविधान संशोधन के उपबन्धों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधायिका ने उत्तर प्रदेश नगरीय स्वशासन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया। नगर निगम, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 व नगर पालिका परिषदें एवं नगर पंचायतें, दोनों ही उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा शासित है।

ग्यारहवें वित्त आयोग (11वाँ वि.आ.) की अनुशंसा के आधार पर भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) के सभी त्रिस्तरीय/सोपानों की लेखाओं के उपयुक्त अनुरक्षण और उनकी लेखापरीक्षा पर नियन्त्रण एवं निगरानी हेतु जिम्मेदार होंगे। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं के उपयुक्त अनुरक्षण और उनकी लेखापरीक्षा पर नियन्त्रण एवं निगरानी का कार्य भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (अधिकार, शक्तियों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 20 (1) के अधीन सौंपा गया।

1.2 संगठनात्मक ढाँचा

शहरी स्थानीय निकायों का प्रशासनिक संगठन



नगर निगम में जहां महापौर प्रमुख हैं, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के प्रमुख अध्यक्ष हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि यथा महापौर/अध्यक्ष अपनी शक्तियों का उपयोग और कर्तव्यों का निर्वहन निर्वाचित सदस्यों की समिति जैसे कि पार्षदों, परामर्शदाताओं और परिषद के सदस्यों के माध्यम से करते हैं। नगर निगमों के मामलों में नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के मामलों में अधिशासी अधिकारी, प्रशासनिक प्रमुख होता है।

उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में सामान्य सूचना निम्नवत् है:—

प्राधिकार का नाम	इकाई की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या वर्ष 2001 के अनुसार	अधिकारी / कर्मचारी		योग
			जनगणना	सामान्य	सफाई कर्मचारी	
न.नि.	12	1426.56	13149873	15381	21145	36526
न.पा.परि.	194	1971.33	13392824	13269	19093	32362
न.पं.	422	1762.28	6020378	3658	5272	8930
योग	628	5160.17	32563075	32308	45510	77818

1.3 शहरी स्थानीय निकाय का कार्यकलाप

शहरी स्थानीय निकाय अपने कार्यकलापों का निष्पादन विभिन्न समितियों जैसे योजना एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, जल प्रबन्धन समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तथा प्रशासनिक समिति इत्यादि के माध्यम से करती है। वे विभिन्न योजनाओं यथा आवासीय, स्वरोजगार आदि के अन्तर्गत आय मानक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर लाभार्थियों को चिन्हित करती है।

1.4 लेखापरीक्षा प्रबन्धन

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 142 (2) के अधीन मुख्य नगर लेखापरीक्षक नगर निगम के लेखाओं के प्राथमिक लेखापरीक्षक है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों की लेखापरीक्षा करने के लिए कोई प्राथमिक लेखापरीक्षक का प्रावधान नहीं है। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, त्रिस्तरीय निकायों के सांविधिक लेखापरीक्षक है। भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के (अधिकार, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों), 1971 अनुच्छेद 20 (1) के अधीन नमूना लेखापरीक्षा सम्पादित करते हैं तथा निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को तकनीकी दिशा निर्देश एवं सहयोग प्रदान करते हैं।

1.5 लेखापरीक्षा आच्छादन

वर्ष 2005-06 के दौरान 5 नगर निगमों¹ 16 नगर पालिका परिषदों² एवं 32 नगर पंचायतों³ की नमूना लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखापरीक्षा में लेन-देनों की लेखापरीक्षा एवं लेखों पर टिप्पणियों सहित वित्तीय लेखापरीक्षा आच्छादित की गई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी प्रस्तारों में उद्धृत किया गया है।

1.6 निधियों का आवंटन

प्रथम राज्य वित्त आयोग ने जनसंख्या के अनुसार 80 प्रतिशत तथा क्षेत्र के अनुसार 20 प्रतिशत मानक के आधार पर राज्य सरकार की सकल कर राजस्व की 7 प्रतिशत निवल परिलब्धियाँ शहरी स्थानीय निकाय को आन्तरित करने की संस्तुति की तथा उनके मध्य प्रतिशतता अंश को निर्धारित किया। तदनुसार निवल परिलब्धियों का 3.12 प्रतिशत प्रत्येक नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद तथा 0.76 प्रतिशत नगर पंचायतों हेतु निश्चित किया गया। पुनश्च इन अनुदानों को नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के बीच कुल जनसंख्या, एस. सी./एस.टी. की जनसंख्या, सामाजिक पिछड़ेपन और अपने स्वयं के स्रोतों से अर्जित राजस्व की प्रतिशतता के आधार पर निर्धारित किया गया।

1.7 निधियों का स्रोत

विभिन्न विकास कार्यों के कराने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार अनुदानों के रूप में निधियाँ उपलब्ध कराती है। शहरी स्थानीय निकाय को ये निधियाँ निम्नवत् स्रोतों से प्राप्त होती हैं:-

1. ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन आवंटित अनुदान।
2. प्रथम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन राज्य सरकार की कुल कर राजस्व के 7 प्रतिशत निवल परिलब्धियों का आवंटन।
3. शहरी स्थानीय निकाय को अन्तरित कार्यकलापों हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रेषित निधियाँ।
4. शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों यथा कर, किराया, फीस अनुज्ञापनों का निर्गमन तहबाजारी, टैक्सी स्टैण्ड आदि से अर्जित राजस्व।

¹ इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर लखनऊ एवं मेरठ।

² अछनेरा, एदमादपुर, शमसाबाद, मुबारकपुर, बलिया, बस्ती, फैजाबाद, सण्डी, सण्डीला खलीलाबाद,गोलागोकर्नाथ, चरखारी, मऊ गोपीगंज, सीतापुर एवं सुल्तानपुर।

³ दयालबाग स्वामीबाग, हण्डिया, लालगोपालगंज, मऊआईमा, फूलपुर, शंकरगढ़, अजमतगढ़, निजामाबाद, जरवल, रिशिया, बिशारतगंज, मीरगंज, रिच्छा, शेरगढ़, गोसाईगंज, खागा, फरिहा, जसराना, सादात, सैदपुर, खेतासराय, जाफराबाद, गोसाईगंज, महोना, कछवा, केमरी, शाहाबाद ज्ञानपुर, इकौना, कादीपुर एवं गंगापुर।

1.8 निधियों की अवमुक्ति


राज्य सरकार (वित्त विभाग) 11वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर निदेशक, स्थानीय निकायों को सूचित आवंटन आदेशों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान अवमुक्त करती है। कोषागार से अनुदानों का आहरण राज्य की चालू तरलता स्थिति पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्र सेक्टर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निधियाँ राज्य प्रशासन को अवमुक्त की जाती है जो इन्हें जिला स्तर पर विभिन्न कार्यदायी एजेन्सियों को अवमुक्त करता है। विगत 5 वर्षों (2000-01 से 2004-05) के दौरान 11वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग द्वारा अवमुक्त निधियों तथा उनके विरुद्ध व्यय की गयी धनराशियाँ निम्नवत् है:-

ग्यारहवें वित्त आयोग (शहरी स्थानीय निकाय)

(रु करोड़ में)

वर्ष	अवमुक्त निधियाँ	व्यय
2000-01	67.62	66.73
2001-02	67.54	67.46
2002-03	68.36	68.28
2003-04	67.54	67.54
2004-05	34.18	30.27

ग्यारहवाँ वित्त आयोग (शहरी स्थानीय निकाय)




राज्य वित्त आयोग (शहरी स्थानीय निकाय)

(रु करोड़ में)

वर्ष	अवमुक्त निधियाँ	व्यय
2000-01	613.93	613.93
2001-02	674.50	674.50
2002-03	674.17	674.17
2003-04	667.99	667.99
2004-05	604.48	604.48

राज्य वित्त आयोग (शहरी स्थानीय निकाय)



1.9 आन्तरिक नियन्त्रण

लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आयी किन्तु स्थल पर समाधानित न की जा सकी वित्तीय अनियमितताओं और प्रारम्भिक लेखों/अभिलेखों में कमियों को कार्यालय प्रमुख के साथ-साथ विभागीय प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन (नि. प्रति.) के माध्यम से अवगत कराया गया। गम्भीर एवं अतिमहत्वपूर्ण अनियमितताएं शासन को सूचित की गयी थी तथा विभागीय स्तर पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु 5 से 16 वर्ष पुरानी अनिस्तारित आपत्तियों को दर्शाते हुए एक विवरिणी भी शासन को प्रेषित की गयी थी।

महालेखाकार के लेखापरीक्षा प्रस्तारों के निस्तारण हेतु निगरानी रखने तथा विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु नगर निगम स्तर पर समुचित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। ऐसी प्रणाली के अभाव में 31 मार्च 2005 को 640 लेखापरीक्षा प्रस्तार (252 भाग दो क एवं 388 भाग दो ख) अनिस्तारित थे।

2004-05 तक नगर निगम के बकाया/अवशेष प्रस्तर:-

क. सं.	इकाई का नाम	कुल अनिस्तारित प्रस्तर		1993-94 तक		1994-95 से 99-00 तक		00-01 से 2002-03		2003-04		2004-05	
		भाग-II		भाग-II		भाग-II		भाग-II		भाग-II		भाग-II	
		क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1	आगरा	29	66	18	29	4	28	6	6	1	3	0	0
2	अलीगढ़	4	7	0	0	0	0	2	4	2	3	0	0
3	इलाहाबाद	29	32	18	14	6	14	5	4	0	0	0	0
4	बरेली	14	37	0	0	7	15	5	17	2	5	0	0
5	गाजियाबाद	19	49	5	15	2	24	6	0	4	3	2	7
6	गोरखपुर	7	2	0	0	0	0	1	1	0	0	6	1
7	झाँसी	0	16	0	10	0	0	0	6	0	0	0	0
8	कानपुर	58	50	32	17	4	16	12	8	0	0	10	9
9	लखनऊ	36	23	4	7	19	0	6	6	4	6	3	4
10	मेरठ	35	56	13	5	7	12	3	22	6	9	6	8
11	मुरादाबाद	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
12	वाराणसी	21	36	10	16	2	5	5	9	4	6	0	0
	योग	252	388	100	127	51	114	51	83	23	35	27	29

शहरी स्थानीय निकायों को अनुस्मारक भेजे गये किन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

1.10 सम्प्रेक्षित शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति (2004-05)

वर्ष 2004-05 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति जैसा कि परिशिष्ट 1 से 3 में वर्णित की गयी है:-

(रु करोड़ में)

स्थानीय निकाय	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियाँ	योग	व्यय	अन्तिम अवशेष
न.नि.	105.59	317.31	422.90	303.84	119.06
न.पा.परि.	12.44	49.72	62.16	44.43	17.73
न.पं.	6.97	14.12	21.09	11.81	9.28
योग	125.00	381.15	506.15	360.08	146.07

इस प्रकार, व्यय, उपलब्ध, संसाधनों के अनुगामी नहीं थे जो शहरी स्थानीय निकाय की बलहीन योजना के वित्तीय संसाधन प्रबन्धन को इंगित करती है।

1.11 सम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण न किया जाना

परिसम्पत्ति पंजिका लेखों की वार्षिक विवरणी का एक महत्वपूर्ण भाग है जिससे परिसम्पत्तियों की स्थिति सुनिश्चित होती है। वित्तीय वर्ष के अन्त में परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन के साथ-साथ प्रमाणीकरण किया जाता है जिससे कि परिसम्पत्तियों की स्थिति सत्यापित हो। यदि इस पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया है तो क्षति एवं चोरी के प्रकरण में वसूली की धनराशि आदि को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। तथापि सभी सम्प्रेक्षित 5 नगर निगमों 16 नगर पालिका परिषदों एवं 32 नगर पंचायतों में परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

1.12 लेखों का प्रमाणीकरण

राज्य अधिनियम/नियमों में निर्दिष्ट प्रावधान न होने के कारण निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा सम्प्रेक्षित किसी भी नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में लेखों का प्रमाणीकरण नहीं किया गया था। प्रमाणीकरण के अभाव में लेखों के सत्य एवं उचित दृष्टिकोण पर कोई परामर्श नहीं दिया जा सका।

1.13 3.99 करोड़ रुपये के दायित्व, जिसका भुगतान नहीं किया गया

नगर निगम मेरठ के विभिन्न योजनाओं हेतुयथा मार्गों के सुधार हेतु रु 5.89 करोड़, नालों के सुधार हेतु 3.47 करोड़, जलापूर्ति व्यवस्था के सुधार हेतु 2.72 करोड़ रुपये तथा सीवरेज के पुनरुद्धार हेतु 2.23 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना परिषद दिल्ली द्वारा अक्टूबर 1999 से अगस्त 2001 के मध्य इस शर्त के साथ ऋण उपलब्ध कराये गये थे कि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ कर्ज की वापसी 5 किस्तों में राज्य सरकार के माध्यम से की जाएगी। समयावधि में कर्ज अदा न होने की स्थिति में 2.75 प्रतिशत वार्षिक दण्डस्वरूप ब्याज का प्रभार होगा। यह संज्ञान में आया कि 6.95 करोड़ रुपये (मूल रु 5.82 करोड़ तथा ब्याज रु 1.13 करोड़) अनिस्तारित दायित्व के विरुद्ध रु 1.36 करोड़ स्टाम्प ड्यूटी से (मार्च 2003) तथा रु. 1.60 करोड़ की धनराशि निगम को देय राज्य वित्त आयोग की अनुदान से (मार्च 2001) समायोजित करके राज्य सरकार ने वापस किया।

1.14 रु 1.05 लाख की क्षति

नगर पालिका परिषद, शमशाबाद आगरा द्वारा एक गैर अनुसूचित जिला सहकारी बैंक में रु 1.05 लाख वर्ष 1977 में अनियमित रूप से जमा किए गए। बैंक में गबन के कारण धनराशि आहरित नहीं की गयी (जुलाई 2005) फलतः परिषद को क्षति हुई।

1.15 लेखों का मिलान न किया जाना

दो नगर निगमों (गोरखपुर एवं गाजियाबाद) में रोकड़ बही में 31.03.2005 को रु 8.29 करोड़ अंतिम अवशेष के अन्तर को बैंक/कोषागार की पासबुकों में दर्शाये गए अवशेष से समाधानित नहीं किया गया जबकि सम्प्रेक्षित 03, अन्य नगर निगमों (इलाहाबाद, लखनऊ एवं मेरठ), 16 नगर पालिका परिषदों तथा 32 नगर पंचायतों में बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किए गए थे। असमाधानित अवशेष स्थानीय निकायों के गलत वित्तीय स्थिति का चित्रण करती है तथा निधि के कपटपूर्ण आहरण/गबन/दुर्विनियोग घटित होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

1.16 रुपया 2.26 करोड़ की निधि का अवरुद्ध होना

राज्य विद्युत परिषद के पुराने दायित्वों के निपटान हेतु नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा राज्य वित्त आयोग से रु 15.98 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया गया (अप्रैल 1999)। प्राप्त किए गए ऐसे अनुदान के रु 2.26 करोड़ बिना उपयोग किये वैयक्तिक लेखा खाता में पड़े रहे (अक्टूबर 2006)।

1.17 निष्कर्ष

1. अनिस्तारित प्रस्तरों के समाधान पर निगरानी करने के लिए नगर निगम में कोई उपयुक्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विद्यमान नहीं थी।
2. शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय संसाधन प्रबन्धन खराब नियोजन से ग्रस्त रहा।
3. परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण न किए जाने से शहरी स्थानीय निकाय सार्वजनिक धन की कीमत पर निर्मित परिसम्पत्तियों के चोरी, क्षति एवं दुर्विनियोग के प्रकरणों को खोजने में वंचित रहें।
4. रोकड़ बही के अवशेष का बैंक लेखों से नियमित समाशोधन न किए जाने से निधियों के कपटपूर्ण आहरण एवं दुर्विनियोग का खतरा सन्निहित था।
5. नगर निगमों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा हेतु कोई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नहीं थी।

1.18 संस्तुतियाँ

उपर्युक्त सम्प्रेक्षा निष्कर्षों के दृष्टिगत निम्नलिखित संस्तुतियों की जाती है:-

- लेखों के अनुरक्षण के मानकों के सन्दर्भ में आन्तरिक नियन्त्रण सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
- पर्याप्त नियोजन के माध्यम से वित्तीय संसाधन, प्रबन्धन सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- रोकड़ बही के अवशेषों का बैंक खातों एवं वैयक्तिक लेखा खातों से समाशोधन हमेशा नियमित आधार पर किया जाना चाहिए।
- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठायी गयी लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुरक्षण एवं निस्तारण हेतु समिति गठित की जानी चाहिए।

अध्याय – 2

स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एक अति आवश्यक सेवाएं एवं आवश्यकताएं हैं जिसे सन्तोषजनक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बनी रहे तथा पर्यावरण भी भलीभाँति सुरक्षित रहे। अतः आवश्यक है कि सभी मार्गों, सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों की न्यूनतम स्तर तक नियमित सफाई का प्रावधान हो तथा शहर में उत्पन्न हुए कचरे का उचित निस्तारण पर्यावरणीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय। भारत सरकार द्वारा विनिर्मित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियमावली, 2000 की अनुसूची 01 से 04 में विनिर्दिष्ट अनुपालनीय मानकों/प्रक्रिया के अनुरूप नगर पालिका प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे। अवधि 2001-02 से 2005-06 हेतु योजना की समीक्षा से विदित हुआ कि नियन्त्रण प्रणाली की अपर्याप्तता, खराब अनुश्रवण एवं इसके कार्यान्वयन में शिथिलता के कारण कार्यक्रम बाधित हुआ। संज्ञान में आए महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् थे:-

मुख्य अंश:-

सफाई कर्मियों पर अनुपयुक्त नियन्त्रण के कारण मार्गों/सड़कों की सफाई नियमित रूप से नहीं हुई थी, सामान्य रिहायशी क्षेत्रों की सफाई अपर्याप्त थी।

प्रस्तर 2.6.2.1 (ii), (iii) एवं (IV)

सफाई कर्मियों को अनुबन्ध पर नियोजित करने में रु 16.73 करोड़ का अनियमित व्यय वहन किया गया था।

प्रस्तर 2.6.2.2

नमूना जाँच किए गए कोई भी नगर निगम द्वारा संग्रहण, पृथक्करण, एवं कचन हेतु पर्याप्त प्रणाली को विकसित नहीं किया गया था।

प्रस्तर 2.6.3.1 एवं 2.6.3.1

लखनऊ एवं गाजियाबाद नगर निगमों में उदीभूत नगर पालिका ठोस अपशिष्ट की पूर्ण मात्रा का परिवहन नहीं किया जबकि परिवहन हेतु पर्याप्त क्षमता थी।

प्रस्तर 2.6.3.3 (i), (ii) एवं (iii)

नगर निगम गाजियाबाद की परिवहन क्षमता का अनुकूल उपयोग नहीं हुआ तथा डीजल पर व्यय सन्देहपूर्ण रहा।

प्रस्तर 2.6.3.3 (iv)

अनुबन्ध के अनुसार नगर निगम लखनऊ द्वारा आपूर्ति सुनिश्चित ठोस अपशिष्ट के अभाव में प्रसंस्करण संयंत्र बन्द किए गए थे।

प्रस्तर 2.6.3.5

नमूना जाँच किए गए किसी भी नगर निगम में भूमि भरण स्थल को चिन्हित नहीं किया गया था। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा भूमि भरण स्थल हेतु प्राप्त किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनियमित थे क्योंकि चिन्हित भूखण्डों की उपलब्धता एवं कब्जा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ सत्य पर आधारित नहीं थीं।

प्रस्तर 2.6.3.7

करकस संयंत्र के अन्तिम क्रय/प्राप्त करने में अनियमित विलम्ब के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रु 15.16 लाख का अतिरिक्त भुगतान वहन करना पड़ा।

प्रस्तर 2.6.3.8

2.1 प्रस्तावना

शहरी स्थानीय निकायों का ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अनिवार्य क्रियाकलाप है। सभी शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबन्धन लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन), नियमावली 2000 के प्रावधानों एवं जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 1998 तथा भारत सरकार द्वारा इसका संशोधन 2000 में अधिनियमित किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2001 में अंगीकृत किया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के अनुशंसाओं को भी स्वीकार किया।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

समीक्षा के उद्देश्य थे:-

- नगर निगमों में स्वच्छता, सफाई कर्मियों के नियोजन एवं प्रबन्धन के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के मानकों को प्रभावी ढंग से लागू होने का मूल्यांकन करना।

→ नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली 2000 के नियमों एवं प्रक्रियाओं को लागू करने को सुनिश्चित करना।

→ सहयोजन अपशिष्ट नियमावली 1998 के नियमों एवं प्रक्रियाओं को लागू करने को सुनिश्चित करना।

2.3 लेखापरीक्षा मानक

स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर समीक्षा हेतु प्रयुक्त मानक थे:-

→ नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं अनुशीलन) नियमावली, 2000।

→ जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं अनुशीलन) नियमावली, 1998।

→ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959।

→ उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य मैनुअल।

→ राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश एवं दिशा-निर्देश।

2.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली एवं कार्यक्षेत्र

स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन समीक्षा अगस्त से अक्टूबर 2005 के दौरान सम्पन्न की गयी जो 2001-06 की अवधि में आच्छादित तथा मार्च 2007 में एकत्रित सूचनाओं द्वारा सम्पूरित थी, जिससे प्रदेश में 12 में से 03 नगर निगमों द्वारा स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर अपनाये गए तौर तरीकों के प्रभावीकरण को सुनिश्चित करना था। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से नगर निगम, लखनऊ, गोरखपुर गाजियाबाद के अभिलेखों से सूचनाएँ एवं सांख्यिकीय विवरण, संग्रहीत किए गए थे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों के अभिलेखों का भी निरीक्षण किया गया।

2.5 निधि आवंटन प्रणाली

नगर निगम में निजी स्रोतों से अर्जित धन के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग तथा ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर प्राप्त किए गए अनुदानों से धन का आवंटन होता है। वर्ष 2005-06 के दौरान बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर प्राप्त 50 प्रतिशत अनुदानों को विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रावधानित किया गया।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गयी है।

2.6.1 वित्तीय परिव्यय

नमूना लेखापरीक्षा जाँच की गयी 3 नगर निगमों का 2001-06 के दौरान बजट प्रावधान एवं उसके सापेक्ष वहन किया गया व्यय निम्नवत् रहा:-

(रु० करोड़ में)

नगर निगम का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
लखनऊ	32.47	31.92	33.51	32.01	34.56	34.44	36.36	35.82	47.81	36.81
गाजियाबाद	15.50	13.20	16.45	12.99	17.59	15.60	19.91	16.13	21.33	17.46
गोरखपुर	उपलब्ध नहीं कराया गया				9.63	8.76	10.22	9.53	12.62	11.45

1. नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली को लागू करने हेतु परियोजनाओं को सूचीबद्ध ढंग से तैयार किए बिना धन का आवंटन किया गया यद्यपि कि धन का आवंटन एवं उसके सापेक्ष व्यय में अभिवृद्धि का रुझान रहा। वर्ष 2001-06 के दौरान स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु धन का लगभग 90 प्रतिशत उपयोग के बावजूद नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित किसी भी सुविधा को इच्छित स्तर तक उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस प्रकार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में वर्णित सुविधाओं के असन्तोषजनक स्तर का कारण परियोजनाओं को सूचीबद्ध ढंग से तैयार नहीं किया जाना रहा।
2. वर्ष 2004-05 के दौरान स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु बजट प्रावधान से अनियमित रूप से विचलन किया गया तथा रु 42.66 लाख अन्य मदों पर व्यय किया गया जिससे बजट प्रावधान के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए।

2.6.2 स्वच्छता

2.6.2.1 मार्गों/सड़कों की सफाई

शहरी स्थानीय निकायों को शासित करने वाले नियमों के अनुसार सार्वजनिक मार्गों/सड़कों व अन्य सार्वजनिक दैनिक स्वच्छता, स्थानों की सफाई तथा मार्ग सफाई से व दरवाजे से संग्रहीत अपशिष्ट का निस्तारण सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मैनुअल में यथावर्णित मार्गों की सफाई हेतु विहित मानकों के अनुरूप वर्ष 2004-05 के दौरान सफाई कर्मियों का आवश्यकता व नियोजन निम्नवत् थे:-

नगर निगम का नाम	जनसंख्या (2001 की जनगणन के अनुसार)	वार्डों की संख्या	सफाई कर्मियों की आवश्यकता (10000 जन संख्या पर 28 सफाई कर्मी)	नियोजित किए गए सफाई कर्मियों की संख्या				कमी (-) अधिक्क (+)
				नियमित	आकस्मिक	अनुबन्ध के आधार पर	योग	
लखनऊ	2185927	110	6121	2875	450	1468	4793	-1328
गोरखपुर	349787	29	629*	---	-	629	629	---
	272914	31	764	660	303	---	963	+199
गाजियाबाद	962938	60	2696	983	531	1281	2795	+ 99

नमूना लेखापरीक्षा किए गए नगर निगमों के उपर्युक्त विवरण व अभिलेखों से विदित हुआ कि:-

1. स्वच्छता कार्य के अनुश्रवण हेतु कोई प्रभावी प्रणाली नहीं थी। सफाई कार्य सम्बन्धित नगर निगमों के सफाई निरीक्षकों द्वारा अनुश्रवण किए गए थे जिनकी गतिविधियाँ सफाई कार्य में केवल कर्मियों को इंगित करने तक सीमित थी। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के निवासियों से प्राप्त सफाई सम्बन्धी शिकायतों पर अमल करने हेतु नगर निगमों में न तो कोई व्यवस्था थी न ही स्थिति का अनुश्रवण करने के लिए कोई शिकायत पंजिका का रख रखाव किया गया था।
2. नगर निगम लखनऊ में 6121 कर्मियों की आवश्यकता के विपरीत केवल 4793 सफाई कर्मियों को मार्गों/सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों की सफाई हेतु नियोजित किया गया था। सफाई कर्मियों की कमी के कारण केवल कतिपय मार्गों की दैनिक सफाई हुई जबकि उनमें से कतिपय मार्गों की विशेष अवसरों पर सफाई होती थी तथा कतिपय क्षेत्र विशेष अभियान चलाकर आच्छादित किये जाते थे। कुल नियोजित सफाई कर्मियों को घटाकर 4680 कर दिया गया (फरवरी 2007) जिससे सफाई कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ और अस्वस्थ पर्यावरणीय स्थिति पैदा हुई।
3. गोरखपुर नगर निगम में वर्ष 2004-05 के दौरान 349787 की जनसंख्या वाले 60 वार्डों के 29 मार्गों/सड़कों की सफाई अनुबन्ध के आधार पर हुई थी। अवशेष 31 वार्डों (सन्निहित जनसंख्या 272914) 764 नियमित/आकस्मिक सफाई कर्मियों के विपरीत 963 नियोजित किये गये थे। इन वार्डों में अधिक सफाई कर्मियों के नियोजन के बावजूद 5 वार्डों के 85 मार्गों/सड़कों व 72 मार्गों/सड़कों को क्रमशः सप्ताह में दो बार व तीन बार सफाई की जाती थी। जबकि सफाई कर्मियों पर उचित नियन्त्रण न होने के कारण अन्य 11 वार्डों की अधिकांश

* ठेकेदारों द्वारा 29 वार्डों में सफाई कर्मियों को नियोजित किया गया।

सड़के साप्ताहिक साफ की जाती थी। इन मार्गों/सड़कों की सफाई न होने से अस्वस्थ पर्यावरणीय स्थिति उत्पन्न हुई।

4. नगर निगम गाजियाबाद के मामले में 25 महत्वपूर्ण रिहायशी क्षेत्रों में अपेक्षित संख्या से दोगुने सफाईकर्मि नियोजित किये गये थे। अवशेष 35 वार्डों में अवश्यकता से 78 प्रतिशत कम सफाई कर्मि नियोजित किये गये थे। महत्वपूर्ण रिहायशी क्षेत्रों में अधिक सफाई कर्मि नियोजित करने के कारण नगर निगम 35 वार्डों में प्रभावी स्वच्छता उपलब्ध नहीं करा सका था।

2.6.2.2 अनुबन्ध पर व्यक्तिगत सफाई कर्मियों के नियोजन से अनियमित व्यय

उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश^π अनुमन्य करता है कि जहाँ आवश्यकता हो कार्य अनुबन्ध के आधार पर दिए जाए किन्तु अनुबन्ध के आधार पर श्रमिकों के नियोजन को मना किया गया था। सरकार के आदेश के विपरीत, नगर निगम लखनऊ ने व्यक्तिगत सफाई कर्मियों के साथ 57 रुपये प्रतिदिन भुगतान पर सादे कागज में एक अनुबन्ध निष्पादित किया (2004-05) तथा उन्हें अपेक्षित क्षेत्रों/वार्डों में सफाई हेतु नियोजित किया। नगर निगम गाजियाबाद में भी अनुबन्ध के आधार पर 10-20 सफाई कर्मि के समूह के रूप में लगाया गया। लगाये गए सफाई कर्मियों में से एक को कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिया गया। रु 81.40 प्रति सफाई कर्मि/प्रतिदिन मजदूरी नियत की गयी थी तथा सफाई कर्मियों के मजदूरी सम्बन्धित चेक नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पक्ष में आहरित किए गए थे और रु 0.40 आयकर व व्यापार कर के रूप में कटौती करके रु 81.00 प्रति सफाई कर्मि/प्रतिदिन भुगतान किया गया था।

इस प्रकार, अनुबन्ध के आधार पर सफाई कर्मियों को वर्ष 2001-05 के दौरान नियोजन से नगर निगम लखनऊ व गाजियाबाद में क्रमशः रु 5.50 करोड़ तथा रु 11.23 करोड़ अनियमित व्यय किये गये (परिशिष्ट-4)। व्यक्तिगत मजदूरों या मजदूरों के समूह का अनुबन्ध के आधार पर नियोजन सरकारी आदेशों का उल्लंघन था।

2.6.2.3 परिहार्य व्यय

नगर निगम गाजियाबाद में 1281 सफाई कर्मियों को अनुबन्ध के निष्पादन किए बिना उनकी मजदूरी रु 74.00 की दर एवं रु 74.00 का 10 प्रतिशत प्रति सफाई कर्मि प्रतिदिन ठेकेदार का लाभ नियत करते हुए नियोजित किया गया था। नगर निगम द्वारा व्यक्तिगत सफाई कर्मियों को ठेकेदार का लाभ जोड़ने के पश्चात उनकी मजदूरी रु 81.40 प्रतिदिन भुगतान किया गया। इस प्रकार वर्ष के दौरान रु 7.40

^π वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ.प्र. शासन शासनादेश संख्या-10/दस-स.वि.नि.-1-2001 दिनांक 09.01.2001

प्रति सफाई कर्मी प्रतिदिन ठेकेदार के लाभ के रूप में अतिरिक्त भुगतान रु 34.60 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

2.6.2.4 असमायोजित/ अवसूलित अग्रिम

वर्ष 1995–2000 के दौरान नगर निगम, गोरखपुर तथा वर्ष 1998–2003 के दौरान नगर निगम गाजियाबाद में स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित सामग्रियों के सम्भरण/आपूर्ति हेतु स्टाफ/निजी पक्षों को दिए गए अग्रिम में से क्रमशः रु 1.41 करोड़ तथा रु 0.54 करोड़ फरवरी 2007 तक असमायोजित/अवसूलित थे।

2.6.3 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (ठो0अ0प्र0)

2.6.3.1 नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का अनुचित संग्रहण एवं पृथक्करण

1. नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का घर-घर संग्रहण दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए। नमूना जाँच में पाया गया कि नगर निगमों में खुले स्थानों में सड़क के किनारों एवं नालियों में फैले हुए ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु उन्हें अपशिष्ट के अन्तर्गत वस्तु के रूप में शोधित करने की कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी थी। नगर निगम लखनऊ द्वारा 110 में से 6 वार्डों में नगर पालिका अपशिष्ट का घर-घर से संग्रहण करना जून 2003 में आरम्भ किया गया किन्तु लखनऊ बिजनौर मार्ग पर स्थित औरंगाबाद जागीर गाँव में स्थापित शोधन संयंत्र के बन्द हो जाने के कारण दिसम्बर 2004 से सेवाएं रोक दी गयी। नगर निगम गोरखपुर भी 60 में से 6 वार्डों में घर-घर से संग्रहण आरम्भ किया (सितम्बर 2005)। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का घर-घर से संग्रहण यद्यपि वार्डवार करने के बजाय केवल 10 कालोनियों में किया जा रहा था (फरवरी 2007)। नगर निगम गाजियाबाद में इस सम्बन्ध में कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी थी।
2. प्रावधानों के अनुसार, नगर पालिका ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण स्रोत पर ही बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, पुनः चक्रण अपशिष्ट एवं खतरनाक अपशिष्ट में घरेलू तथा संग्रहण केन्द्रों के स्तर पर पृथक रंग के कूड़ेदानों का प्रयोग करते हुए किया जाना अपेक्षित था। नमूना जाँच में पाया गया कि किसी भी नगर निगमों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। सड़कों की सफाई के दौरान संग्रहीत मिले जुले अपशिष्टों को द्वितीय संग्रहण स्थलों पर एकत्र कर दिया

गया। घुमन्तू जानवरों एवं गन्दगी उठाने वालो से सभी स्थानों पर कूड़ा फैलने के कारण द्वितीय संग्रहण केन्द्रों के चारों ओर अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ थी।

2.6.3.2 नगर पालिका ठोस अपशिष्टों का अप्राधिकृत कालोनियों में निस्तारण

नगर निगम, नगरों के सम्बद्ध क्षेत्रों में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली के प्रावधानों को लागू करने हेतु उत्तरदायी थे। गाजियाबाद में 153 अप्राधिकृत कालोनियाँ थी, जहाँ आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। इन कालोनियों में उत्पन्न नगर पालिका ठोस अपशिष्टों के निस्तारण हेतु कोई व्यवस्था नहीं बनायी गयी थी। सरकारी नीतियों के अनुसार इन कालोनियों को या तो खाली कराया जाता या कब्जेदारों से भू-खण्डों की कीमत एवं विकास शुल्क वसूल करके विनियमित किया जाता तथा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमों का अनुपालन किया जाता। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार इन कालोनियों के निवासी अस्वास्थ्यकर दशा में लगातार रह रहे थे जिसके कारण पर्यावरणीय हानि व स्वास्थ्य खतरों का जोखिम था।

2.6.3.3 नगर पालिका ठोस अपशिष्टों का परिवहन

नगरपालिका ठोस अपशिष्टों का फैलाव रोकने के लिए अपशिष्टों की सफाई हेतु प्राथमिक भण्डारण सुविधाओं का प्रयोग प्रतिदिन होना चाहिए था। 03 नगर निगमों द्वारा प्रतिदिन उदभूत एवं परिवहित किए गए अपशिष्टों की मात्रा नीचे दी गयी है:-

नगर निगम का नाम	उदभूत नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)	परिवहित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की क्षमता (मीट्रिक टन में) लगभग (परिशिष्ट-5)	न.प. ठोस अप. के वाहनों की क्षमता के सापेक्ष परिवहन की प्रतिशतता
लखनऊ	1500	1100	1986	73.33
गोरखपुर	300	300	566	100
गाजियाबाद	550	447.90	1132.50	81.44

स्रोत-नमूना जाँच की गयी नगर निगमों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार।

उपर्युक्त विवरण एवं नमूना जाँच किए गए नगर निगमों के अभिलेखों से पाया गया कि-

- I. नगर निगम लखनऊ एवं गाजियाबाद पर्याप्त परिवहन क्षमता के बावजूद वाहनों के फेरों का अधिकतम उपयोग करने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो सकी। इस प्रकार एकत्रित हुए अनिस्तारित पड़े अपशिष्ट पर्यावरणीय प्रदूषण के साथ मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बने रहे।

- II. नगर निगम लखनऊ द्वारा 45 वाहन प्रयोग में लाये जो कि न तो बन्द थे और न ही ढके थे, परिणाम स्वरूप नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का सड़कों पर फैले क्षेत्रों में दुर्गन्ध तथा जनमानस को दृष्टिगत होना रोका नहीं जा सका था।
- III. नगर निगम लखनऊ की लेखापरीक्षा में डीजल के वास्तविक उपभोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि 1100 मी. टन प्रतिदिन परिवहन हेतु बिना मीटर युक्त परिवहन क्षमता 1986 मी. टन वालों वाहनों का उपभोग किया गया था। इस प्रकार, आवश्यकता से अधिक डीजल के उपभोग से इन्कार नहीं किया जा सकता।
- IV. नगर निगम गाजियाबाद में परिवहन क्षमता 1132.50 मी. टन वाले वाहनों के द्वारा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट 447.50 मी. टन प्रतिदिन परिवहन किया गया। वर्ष 2004-05 के अभिलेखों से पता चला कि जहाँ परिवहन क्षमता 1132.50 मी. टन प्रतिदिन वाले वाहनों के फेरों का पूर्णतया प्रयोग डीजल उपभोग से दृष्टिगत हुआ, केवल 447.50 मी. टन नगर पालिका ठोस अपशिष्टों का परिवहन किया गया जो कि नगर निगम में उत्पन्न ठोस अपशिष्टों से बहुत कम था। इस प्रकार नगर निगम द्वारा ऐसी क्षमतायुक्त वाहनों का प्रयोग अधिकतम नहीं था तथा डीजल पर व्यय सन्देहास्पद था।

2.6.3.4 ठोस अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र

नगर पालिका नियमावली नगर पालिका प्राधिकारियों को भण्डारण सुविधा स्थापित व रख रखाव, इस रीति से करने को निर्देशित करता है कि उनमें अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ स्थितियाँ न बन जाये। इन्हें ऐसा रूप (डिजाइन) दिया जाना था कि भण्डारित अपशिष्ट खुले वातावरण में दृष्टिगत न रहे। फरवरी 2007 तक स्थापित द्वितीय संग्रहण केन्द्रों की स्थिति निम्नवत् थी:-

नगर निगम का नाम	डम्पर संयुक्त कूड़ेदान की संख्या		कंक्रीट से बने कूड़ेदानों की संख्या		पारव घर [#] की संख्या	
	खुले	बन्द	खुले	बन्द	खुले	बन्द
लखनऊ	—	158	671	—	—	—
गोरखपुर	—	200	225	—	20	—
गाजियाबाद	—	180	60	—	2	—

नगर निगम लखनऊ, गोरखपुर एवं गाजियाबाद में क्रमशः 671, 245 व 62 द्वितीय संग्रहण केन्द्र डम्पर कूड़ेदान की कमी के कारण खुले स्थानों में थे। इस प्रकार, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के घुमन्तू जानवरों, कचरा बिनने वालों द्वारा फैलाने से दुर्गन्ध के फैलाव को रोका नहीं जा सका था तथा नगर पालिका ठोस अपशिष्टों का ऊपरी बहाव एवं बार-बार उठाई धराई से नहीं बचाया जा सका।

नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के द्वितीय संग्रहण केन्द्र का स्थाई ढँचा।

2.6.3.5 नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का शोधन

1. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नेशनल पाइलट प्रोग्राम के अन्तर्गत ऊर्जा वसूली हेतु नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के उपभोग की दृष्टिकोण से नगर निगम लखनऊ ने मेसर्स इन्केम इंजिनियरिंग प्रा.लि. चेन्नई (इ.इ.पी.एल.) के साथ एक अनुबन्ध निष्पादित किया (फरवरी, 1997)।

अनुबन्ध के अनुसार, नगर निगम लखनऊ ने मै. इ.इ. पी.एल. के कब्जे में 05 एकड़ भूखण्ड एक रुपये प्रति वर्ग मी. की दर से 30 वर्षों हेतु पट्टा किराया पर आन्तरित दिया गया। लखनऊ नगर निगम को आद्रता तत्व निर्धारित गुणों, कार्बनिक एवं अकार्बनिक ठोस युक्त 300 मी. टन तय नगर पालिका अपशिष्ट की आपूर्ति करना था। मे0 इ.इ.पी.एल. को कुल उत्पादित कार्बनिक अपशिष्ट के 5 प्रतिशत की दर से सार्वजनिक स्थानों के पर्यावरणीय उन्नयन के लिए नगर निगम के स्वयं के प्रयोग हेतु कार्बनिक अपशिष्टों को दिया जाना था। उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद को विक्रीत उर्जा के कुल उत्पाद के विक्रय मूल्य (इ.इ.पी.एल. के संयन्त्र उपभोग के उपरान्त) का एक प्रतिशत भी कम्पनी को देना था। उसी समय मै. इ.इ.पी.एल. ने सूचित किया (नवम्बर 1997) कि वह संयन्त्र को चलाने हेतु एशिया बायोएनर्जी (इण्डिया) लि. (ए.बी.आई.एल.) के नाम से एक नयी कम्पनी गठित किए हैं। नगर निगम, लखनऊ एवं ए.बी.आई.एल. के मध्य उसी उपबन्ध एवं शर्तों पर अप्रैल, 2001 में एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया जैसा कि नगर निगम लखनऊ एवं इ.इ.पी.एल. से तय था।

मै. ए.बी.आई.एल. ने प्रोमोटर्स, वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं एम.एन.इ.एस. से आर्थिक सहायता को निवेश करते हुए 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन एवं खाद का एक प्लान्ट सम्मिलित करते हुए नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्लान्ट (रु 76 करोड़) (जून 2003) स्थापित किया। अग्रेतर मै. ए. बी.आई.एल ने तयशुदा नगर पालिका अपशिष्ट के अभाव में प्लान्ट बन्द कर दिया (दिसम्बर, 2004) एवं नगर निगम लखनऊ को हर्जाने का दावा करते हुए कानूनी नोटिस भिजवाया। प्लान्ट के बन्द होने के कारण हवा, पानी इत्यादि के प्रदूषण को कम करने के किसी पर्याप्त सावधानी के बिना प्लान्ट के किनारे ही खुले स्थान में अशोधित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का ढेर लगाया गया (फरवरी 2007)।

अवधि जून 2003 से दिसम्बर 2004 के दौरान उर्जा की बिक्री से देय राजस्व का दावा नगर निगम लखनऊ द्वारा न तो किया गया और न ही ए.बी.आई.एल. से कोई कार्बनिक अपशिष्टों को प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त अवधि मार्च 1997 से दिसम्बर 2004 हेतु

रु0 1,56,899/- पट्टा किराया भी नहीं प्राप्त किया गया। इस प्रकार नगर निगम लखनऊ द्वारा तयशुदा नगर पालिका अवशिष्ट कम्पनी को उपलब्ध कराने में विफलता के चलते आशोधित नगर पालिका अवशिष्ट खुले स्थान में ढेर लगाए गए जिससे हवा एवं पानी प्रदूषित हुआ। इसके अलावा उर्जा एवं बायोफर्टिलाइजर के लाभ से वंचित रहे।

2. नगर निगम गोरखपुर एवं गाजियाबाद द्वारा नगर पालिका अपशिष्टों का निस्तारण सड़क के किनारे एवं निचले क्षेत्रों पर बिना किसी शोधन के किया गया, जिससे पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न हुए। नगर निगम गोरखपुर ने नगर पालिका अपशिष्ट को कार्बनिक गोबरखाद में परिवर्तित, खाद एवं अवांछित बेकार तत्वों से कचरा व अन्य उत्पाद पुनःचक्रित करने हेतु फर्म की अपनी पूंजी विनिवेश पर स्वनिर्मित व चलाने के आधार पर एक अनुबन्ध किया (जुलाई 2005)। किन्तु उ.प्र. विद्युत परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा गोरखपुर विकास प्राधिकरण से भूखण्ड के अभाव में इसे मूर्तरूप नहीं दिया जा सका (फरवरी 2007)। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं किया गया था (फरवरी 2007)।

2.6.3.6 मौजूदा भूमिभरण स्थलों का सुधार न किया जाना

मौजूदा भूमिभरण स्थलों का विकास नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली के अनुसूची प्रथम के अधीन विहित विशिष्टियों के अनुरूप 31 दिसम्बर 2001 तक किया जाना था। नमूना जाँच की गयी नगर निगमों में कोई भूमिभरण स्थल नहीं था। अपृथक्करण किए व आशोधित नगर पालिका अपशिष्ट को सड़कों के किनारे एवं निचले क्षेत्रों में निवासिता के समीप दबाये तथा अन्तर्विष्ट सामग्री के साथ आच्छादित किए बिना इसे ढेर लगाया गया। इससे भू जल का रोगाणुयुक्त तथा पर्यावरणीय प्रदूषण से इन्कार नहीं किया जा सकता।

2.6.3.7 भविष्य में उपयोग हेतु भूमिभरण स्थलों को चिन्हित किया जाना

1. न.प.अप. नियमावली 2000 की अनुसूची-I में लागू की जाने वाली अनुसूची के अनुसार भविष्य में उपयोग हेतु भूमिभरण स्थलों तथा कार्यान्वयन हेतु स्थलों की तैयारी को दिनांक 31.12.2002 तक चिन्हित किया जाना था। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार ने 17 जनवरी 2005 को एक कार्यान्वयन अनुसूची निर्मित किया। तदनुसार नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली 2002 की अनुसूची-III में विहित प्रक्रिया के अनुसार भूमिभरण स्थलों को 20 फरवरी 2005 तक चिन्हित तथा इन्हें 20 अगस्त 2005 तक विकसित किया जाना था। पर्यावरणीय मामलों के परीक्षण पर आधारित सम्बन्धित नगर निगमों के द्वारा इनके विकास संचालन एवं रख रखाव को कार्यान्वित करने वाले 20-25 वर्षों तक चलने वाले पर्याप्त वृहत्त भूमिभरण स्थलों को चिन्हित करने हेतु

विकासप्राधिकरण जिम्मेदार था। विकास प्राधिकरण लखनऊ, गोरखपुर तथा गाजियाबाद द्वारा सम्बन्धित नगर निगमों के स्थलों को हस्तांतरित नहीं किये गये था (फरवरी 2007)।

2. नगर निगम या नगर निगम की ओर से सुविधा संचालक को भूमिभरण सहित अपशिष्टों को प्रसंस्करण व निस्तारण सुविधा स्थापित करने हेतु उ.प्र. विद्युत परिषद बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित रहा। गाजियाबाद को छोड़कर किसी भी नगर निगम ने नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली के विभिन्न मानकों का अनुपालन पूरा न करने के कारण उ.प्र. विद्युत परिषद बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र फरवरी, 2007 तक प्राप्त नहीं किया था।

नगर निगमों में भूमि भरण हेतु प्रत्येक 10,000 जनसंख्या के लिए एक एकड़ भूखण्ड की आवश्यकता 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया। नगर निगम गाजियाबाद ने 20 वर्षों हेतु 96.29 एकड़ के विरुद्ध 47 एकड़ भूमि चिपियाना ग्राम से लगे हुए डुण्डाहेड़ा गाँव में चिन्हित किया। 400 मी. टन. न.पं. ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन क्रियान्वयन व निस्तारित करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्थलों को विकसित किया जाना था। हालांकि, 47 एकड़ भूमि में से 33 एकड़ भूमि जिला गौतमबुद्ध नगर अधिकार क्षेत्र में स्थित, का स्वामित्व नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं किया गया था (फरवरी 2007)। केवल 14 एकड़ भूमि उपलब्ध होते हुए स्वामित्व के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा 47 एकड़ भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में उ.प्र. विद्युत परिषद बोर्ड को त्रुटिपूर्ण सूचना दिया गया था। फलस्वरूप उ.प्र. विद्युत परिषद बोर्ड ने नगर निगम के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण निर्गत किया (अगस्त 2004)। इस प्रकार नगर निगम द्वारा प्राप्त किया गया अनापत्ति प्रमाण अनियमित व गैर कानूनी था। इसके अलावा, चहारदीवारी के निर्माण को छोड़कर स्थल पर कोई विकास कार्य नहीं किया गया (फरवरी 2007)।

3. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने नगर निगम गाजियाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु रु 13.52 करोड़ लागत की एक परियोजना अनुमोदित किया (सितम्बर 2005) तथा उ.प्र. सरकार को रु 12.76 करोड़ अवमुक्त किया (सितम्बर 2005 एवं जुलाई 2006)। राज्य सरकार ने कार्यदायी संस्था निर्माण एवं डिजाइन सेवाएँ, उ.प्र. जल निगम, गौतमबुद्ध नगर को रु 9.26 करोड़ हस्तान्तरित किया (दिसम्बर, 2005 से सितम्बर 2006)। खराब नियोजन व भूमिभरण स्थलों की उपलब्धता न होने के कारण योजना फरवरी 2007 तक कार्यान्वित नहीं हुई थी।

2.6.3.8 कारकस प्लान्ट पर परिहार्य व्यय

भारत सरकार ने गाजियाबाद में प्राथमिकता के आधार पर अनुमानित लागत रु 2.70 करोड़ जिसमें भारत सरकार का अंश (रु 2.16 करोड़) तथा उ.प्र. सरकार/नगर निगम का अंश (रु 0.54 करोड़) आधुनिक

कारकास उत्पाद केन्द्र बनाने हेतु अनुमोदित किया (मार्च 1995)। भारत सरकार ने अपना अंश मार्च 1995 से मार्च 1998 के मध्य अवमुक्त किया। नगर निगम गाजियाबाद ने प्लान्ट की आवस्थापना हेतु 1996 में निविदाएँ आमंत्रित किया तथा निविदाएँ दिसम्बर 1996 तक प्राप्त हुईं जो कि शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को दिसम्बर 1997 में स्वीकृति हेतु भेजी गयी। विभाग द्वारा गठित समिति ने मै. फूड प्रोसेसिंग इक्यूपमेन्ट कम्पनी (ठेकेदार) द्वारा उद्धरित रु 1.67 करोड़ की निम्नतम निविदा मई 1998 में स्वीकार किया गया और नगर निगम को निर्देशित किया कि निविदा स्वीकृति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अनुबन्ध निष्पादित करें। प्लांट के परिचालन (कमिश्निंग) हेतु बिना किसी दण्डात्मक उपबन्ध के सितम्बर 1998 में अनुबन्ध निष्पादित किया गया। फर्म द्वारा प्लांट एवं मशीनरी देश के बाहर से आयात करने में विलम्ब (दिसम्बर 1999) के कारण, नगर निगम को उत्पाद शुल्क की अभिवृद्धि की वजह से रु 15.16 लाख अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का भुगतान करना पड़ा। प्लांट की स्थापना व परिचालन रु 2.38 करोड़ की लागत पर विनिर्दिष्ट तिथि (मई 1999) के एक वर्ष विलम्ब के उपरान्त मई 2000 में किया गया। अनुबन्ध में कोई दण्डात्मक उपबन्ध न होने के कारण नगर निगम द्वारा रु 15.16 लाख अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भुगतान के बावजूद फर्म पर कोई दण्ड नहीं लगाया जा सका।

2.6.3.9. गैर कानूनी बंध गृहों का संचालन

नियमों में मौजूदा वधगृहों के आधुनिकीकरण पर बल भी दिया गया था। नगर निगम गाजियाबाद में गैर कानूनी वधगृहों का संचालन खुले स्थानों पर हो रहा था। खुले में वध गृह पर्यावरणीय प्रदूषण के अलावा समस्त वायु सेवा स्टेशन हेतु खतरनाक थे। नगर निगम में मौजूदा वध गृहों को आधुनिकीकरण हेतु कोई कार्यवाही फरवरी 2007 तक नहीं की गयी। यद्यपि कि भारत सरकार ने गाजियाबाद में आधुनिक वध गृह के स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर रु. 8.96 करोड़ धनराशि की एक परियोजना स्वीकृत किया (जुलाई 1998) जो भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार/नगर निगम के 50:50 के अनुपात में स्थापित थी जिसे नगर निगम बोर्ड द्वारा योजना की स्वीकृति न होने के कारण अभी भी स्थापित किया जाना था। नगर निगम द्वारा मौजूदा वध गृह को घनी आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा था तथा मूलभूत सुविधाएँ जैसे कि विद्युत, कचरा निस्तारण का अभाव था तथा सभी प्रकार की स्वास्थ्यकर स्थितियाँ, निर्धारित सुरक्षा/स्वास्थ्य नियमों का अनुरक्षण नहीं कर रही थी।

2.6.4 जैव चिकित्सा अपशिष्ट

2.6.4.1 जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण

- विषैले कार्बनिक एवं पैथोलॉजी अपशिष्ट, सुइयों व अन्य तेज उपकरण, निष्प्रयोज्य औषधियाँ तथा परीक्षण, उपचार, मानव जीवन व पशुओं के टीकाकरण अथवा अनुसंधान की गतिविधियों में औषधि निर्माण या परीक्षण के दौरान उत्पन्न साइटोटाक्सिस ड्रग्स जैव चिकित्सा उत्पाद में सम्मिलित है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली संस्थाओं में औषधालयों, नर्सिंग होम, पशु चिकित्सालीय पशुगृहों, औषधि प्रयोगशालाएँ इत्यादि सम्मिलित है। उ.प्र. विद्युत परिषद बोर्ड से जून 2005 व मार्च 2007 में संग्रहीत सूचनाओं के अनुसार राज्य के 211 शहरी स्थानीय निकायों[#] में उत्पादित समग्र जैव चिकित्सा उत्पाद एवं उसके निस्तारण निम्नवत् थे:-

वर्ष	औषधालयों/नर्सिंग होम की संख्या	प्रतिदिन उत्पादित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (मी. टन में)	प्रतिदिन शोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (मी. टन)	आशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रतिदिन (मी. टन में)	अशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रतिशत में)
2004-05	3045	32	7	25	78.13
2005-06	3320	33.76	8.9	24.86	73.64

- अशोधित जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट की नगर पालिका अपशिष्ट के साथ बिना सही तरीके के मिला रहे थे। अपर्याप्त रख रखाव, गलत तरीके से इकट्ठा करना और जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का सही तरीके से न रखने के कारण व्यक्तिगत स्वास्थ्य, अपशिष्ट उठाने वाले कर्मचारी, संस्थाओं को स्वास्थ्य का खतरा और पर्यावरणीय वातावरण के लिए भी बहुत खतरा है।
- नगर निगम लखनऊ ने जैवचिकित्सा अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु 75 कि.ग्रा./ प्रतिघंटा क्षमतायुक्त रु 24.36 लाख कीमत का एक मापीकरण प्लांट स्थापित किया (नवम्बर 2000)। प्लान्ट द्वारा 50 कि.ग्रा./प्रति घंटा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा रहा था कि जुलाई 2003 में उसका एक बर्नर बेकार था जिसे काफी विलम्ब के पश्चात मार्च 2005 में मरम्मत किया गया। नगर निगम लखनऊ के 394 में से 334 औषधालयों/नर्सिंगहोम वाष्पीकरण प्लांट में पंजीकृत थे। नगर निगम लखनऊ द्वारा रु 25.92 लाख 266 औषधालयों/नर्सिंग होम से निरीक्षण प्रीमियम के अब भी वसूले जाने थे (फरवरी 2007)।

[#] एक लाख व इससे अधिक आबादी वाली शहरी स्थानीय निकायों।

30 औषधालय/नर्सिंगहोम अपने जैव चिकित्सा उत्पाद प्रसंस्करण हेतु नगर निगम को उपलब्ध नहीं करा रहे थे जिसे घरेलू अपशिष्टों के साथ मिश्रित करके निस्तारित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा स्थापित वाष्पीकरण प्लांट बिना स्कबर (प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण) के जून 2006 को चलाया जा रहा था। जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा हो रहा था। हालांकि इसे जुलाई 2006 में स्थापित किया गया था।

3. गोरखपुर में 308 औषधालय/नर्सिंग होम 1500 कि.ग्रा. प्रतिदिन अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे थे। शहर में जैवचिकित्सकीय अपशिष्ट के शोधन हेतु कोई वाष्पीकरण/कारगर सामान्य निस्तारण सुविधा नहीं थी। ये खतरनाक अपशिष्ट वैज्ञानिक तरीके से शोधन के बिना नगर पालिका अपशिष्टों के साथ मिश्रित एवं निस्तारण किए जाते थे जिससे स्वास्थ्य समस्याओं व पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा हो रहा था। हालांकि नगर निगम ने एक फर्म के साथ एक वाष्पीकरण संयंत्र स्थापित करने का एक अनुबन्ध किया (मई 2005) किन्तु फरवरी, 2007 तक प्रगति नहीं हो सकी। नगर निगम गाजियाबाद के पास स्वयं का कोई वाष्पीकरण संयंत्र नहीं था। हालांकि प्राइवेट पार्टियों द्वारा दो वाष्पीकरण स्थापित किए गए थे जिनसे 142 में से 101 औषधालयों/नर्सिंगहोम द्वारा उत्पादित जैवचिकित्सकीय अपशिष्ट शोधित किए जा रहे थे।

उ.प्र.वि.प.नि. से संग्रहीत (फरवरी 2007) सूचना के अनुसार प्रदेश में 211[#] शहरी स्थानीय निकायों में 3320 में से 1253 औषधालयों/नर्सिंग होम के पास न तो स्वयं की कोई शोधन सुविधा थी और न ही सामान्य सहभेषण अपशिष्ट शोधन सुविधा के सदस्य थे। इन औषधालयों/नर्सिंग होम द्वारा उत्पादित सहभेषण अपशिष्ट बिना शोधन के निस्तारित किए जा रहे थे।

2.7 संस्थागत सुदृढीकरण

प्रभावी स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पर्यावरणीय/सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरों की नियुक्ति अपेक्षित थी। नगर निगम में प्रत्यक्ष या तो सीधे चयन था, प्रति नियुक्ति के द्वारा प्राथमिक आधार पर पर्यावरणीय इंजीनियर पद को सृजित करने की सहमति उ.प्र. सरकार ने दिया (जनवरी 2005) किन्तु नमूना जॉच की गयी नगर निगमों में फरवरी 2007 तक कोई पर्यावरणीय इंजीनियर की नियुक्ति नहीं हुई थी।

[#] एक लाख एवं इससे अधिक आबादी वाली शहरी स्थानीय निकायें।

2.8 सूचना प्रबन्धन प्रणाली

नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विभाग को स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बद्ध तात्कालिक स्थितियों के सम्यक विचार के लिए कतिपय प्रासंगिक सूचनाओं को संग्रहीत करना होता है जिससे भविष्य हेतु सुधारात्मक तौर तरीके, उचित परियोजना व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवा में संलग्न प्रत्येक लोगों के निष्पादन का आकलन होता रहे। ऐसी सूचनाओं का कम्प्यूटरीकरण नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु दैनिक अनुश्रवण करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार सूचना प्रबन्धन प्रणाली प्रभावी प्रबन्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, नमूना जाँच किए गए किसी भी नगर निगम में सूचना प्रबन्धन प्रणाली कार्यरत नहीं थी।

2.9 अनुश्रवण

नगर निगम, नगर पालिका अपशिष्ट नियमावली के उपबन्धों में सम्मिलित विभिन्न निर्दिष्ट मानकों के अनुपालन हेतु अपेक्षित संरचना विकास को लागू करने हेतु उत्तरदायी थे। प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में नियमावली के प्रावधानों को लागू करने हेतु उ.प्र. सरकार को अनुश्रवण किया जाना था। उ.प्र. सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशों/आदेशों के अतिरिक्त कोई प्रभावी एवं दक्ष अनुश्रवण नहीं किया गया। इस प्रकार, खराब सेवायें निष्पादित की गयी तथा नमूना जाँच की गयी नगर निगमों द्वारा अपेक्षित स्तर तक नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली को अभी तक लागू नहीं किया। जिसके कारण स्वास्थ्य स्वच्छता व पर्यावरणीय क्षरण हुआ। पुनश्च, इसके क्रियान्वयन हेतु निर्गत निर्देशों/आदेशों का अनुपालन न किए जाने के मामलों में जिम्मेदारी नियत करने हेतु कोई प्रावधान नहीं थे।

2.10 संस्तुतियों

नगर निगम को चाहिए:-

- नियमित सफाई हेतु सफाई कर्मियों का नियोजन मानकों/आवश्यकताओं के अनुरूप करें।
- प्रभावी एवं दक्ष स्वच्छता हेतु सफाई कर्मियों पर यथोचित नियन्त्रण विकसित करें।
- दैनिक अपशिष्ट के प्राथमिक संग्रहण व निस्तारण के लिए सम्यक् प्रणाली विकसित करें।
- नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को स्रोत पर ही जैव नष्टीकरण, पुनःचक्रण योग्य, खतरनाक अपशिष्ट इत्यादि के साथ-साथ दूसरे दर्जे के संग्रहण केन्द्रों पर पृथक्करण सुनिश्चित करने हेतु रंग-बिरंगे कूड़ेदानों को उपलब्ध करायें।
- खुले भण्डारण को ढके भण्डारण में पहुंचाए।

- खुले भण्डारणों को अपशिष्ट के परिवहन हेतु वाहनों के फेरों का अधिकतम उपभोग करें।
- विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमिभरण स्थलों का विकास सुनिश्चित करें।
- नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार शोधन के उपरान्त ही नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का निस्तारण करें।
- संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु पर्याप्त तौर तरीके अपनायें।
- सख्त अनुश्रवण हेतु सूचना प्रबन्धन प्रणाली को लागू करें।

2.11 सरकार की प्रतिक्रिया

उपर्युक्त बिन्दुओं को उ.प्र. सरकार को जनवरी 2006 में सन्दर्भित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2007)।

अध्याय—III

लेनदेनों की लेखापरीक्षा

3.1 नगर निगम की रु 408.01 करोड़ की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा।

(अ) नगर निगम के नियमानुसार शासन द्वारा दी गयी या उपहार में प्राप्त या कय की गई या अन्य साधनों से प्राप्त भूमि, नगर निगम के निर्देश, नियन्त्रण और प्रबन्धन के अधीन रहेगी। किसानों को पट्टे पर दी गयी भूमि का समय-समय पर भौतिक सत्यापन करके उसका मिलान राजस्व अभिलेख से किया जाना चाहिए।

नगर निगम इलाहाबाद के सम्पत्ति विभाग के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2005) में पाया गया कि मौजा करेली में 432 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि नगर निकाय (निगम) के मालिकाना हक में दर्ज थी तथा 1359 फसली (वर्ष 1952) तक वह भूमि राजस्व अभिलेखों में किसानों को पट्टे के रूप में दर्ज थी परन्तु उसके बाद राजस्व अभिलेखों से निगम का नाम हटा दिया गया। नगर निगम द्वारा भू-अभिलेखों के समुचित रख रखाव न किए जाने तथा वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किए जाने के कारण यह घटित हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर राजस्व अभिलेखों में नगर निगम का नाम भूमि के स्वामी के रूप में (मार्च 2007) में दर्ज किया गया, परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक उस भूमि पर कब्जा नहीं प्राप्त हो सका था। निगम की भूमि पर अवैध कब्जा निम्नवत् था:—

क्र. सं.	वर्तमान खतौनी में कब्जेदारों का नाम	रकबा (क्षेत्र)		मूल्य* (रु करोड़ में)
		बीघा	बिस्वा	
1	उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद	207	15	125.33
2	उत्तर प्रदेश शासन	17	17	12.80
3	अन्य किसान	206	18	125.17
	योग	432	10	263.20

नगर निगम इलाहाबाद के अनदेखी के कारण निगम की भूमि पर क्षेत्रीय दरों के अनुसार रु 263.20 करोड़ मूल्य की भूमि पर अवैध कब्जा हुआ।

उत्तर में इकाई द्वारा बताया गया कि (जुलाई 2007) की विभागीय कार्यवाही का प्रकरण विचाराधीन है।

(ब) नगर निगम मेरठ के लेखाओं की जाँच में पाया गया (अगस्त 2004) कि 636738 वर्ग मी. नगर निगम की भूमि मूल्य रु 144.81 करोड़ पर मेरठ विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का अवैध कब्जा वर्ष 1987 (परिशिष्ट-6) से था। नगर निगम की भूमि पर

* रु 60.50 लाख प्रति बीघा (रु 2000/- प्रति वर्ग गज)

अवैध अतिक्रमण की पहचान पन्द्रह वर्ष से अधिक समय बीतने के उपरान्त नहीं की गई। नगर निगम द्वारा न तो अर्जित परिसम्पत्तियों का रख रखाव किया गया, और न ही राजस्व विभाग के अभिलेखों से समय-समय पर मिलान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर नगर निगम ने बताया कि वर्ष सितम्बर 2002 में आया कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संज्ञान में आया कि निगम की भूमि पर अवैध कब्जा कर आवासीय भवन के निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है। उत्तर से स्थापित किया जा सकता है कि नगर निगम में अपने सम्पत्ति के अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे को रोकने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी।

प्रकरण शासन को संदर्भित (जुलाई, 2006) किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे।

3.2 अपूर्ण कार्य पर 50.00 लाख का निष्फल व्यय

राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका परिषद, बस्ती को रु 50.00 लाख ब्याज मुक्त ऋण अवस्थापना निधि से बस्ती के जल भराव क्षेत्र से जल निष्कासन हेतु दिये गये (दिसम्बर 2001)। निर्माण हेतु सिंचाई ड्रेनेज प्रखण्ड, बस्ती (आई.डी.डी.बी.) को कार्य सौंपा गया। जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी को कार्य की गुणवत्ता की जाँच एवं नियत समय पर पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। आई.डी.डी.बी. द्वारा रु 36.70 लाख का आकलन दक्षिण दरवाजा से बस स्टाप बस्ती (1.40 कि.मी. एवं 1 कल्वर्ट) एवं रु 29.42 लाख शिवा कालोनी से जिला चिकित्सालय बस्ती (0.95 कि.मी. एवं एक कल्वर्ट) हेतु तैयार किया गया (सितम्बर-2002)। दोनों नालों का मिलान मुख्य नाला से किया जाना था। परिषद द्वारा रु 50.00 लाख निर्माण हेतु आई.डी.डी.बी. को दिया गया (सितम्बर 2002)।

अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ रु 31.57 लाख के व्ययोपरान्त नाला निर्माण दक्षिण दरवाजा से बस स्टॉप बस्ती (एक कल्वर्ट के साथ 1.30 कि.मी. नाला) एवं रु 18.43 लाख के व्ययोपरान्त नाला निर्माण शिवा कालोनी से चिकित्सालय, बस्ती (2 कल्वर्ट के साथ 0.81 कि.मी.) अपूर्ण थे (मई 2005)। अपूर्ण नाले का उपयोग जल निकासी हेतु नहीं किया जा सका ताकि रु 50.00 लाख का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि निधियों के अभाव में कार्य पूर्ण नहीं हो सका और अब परिषद द्वारा निर्माण कार्य स्वयं के संसाधनों से पूर्ण किया जायेगा। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि नगर पालिका परिषद को धनाभाव की जानकारी कार्य प्रारम्भ करते समय थी, अतः अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था निर्माण कार्य के दौरान ही की जानी थी।

अतः निधियों की व्यवस्था नियत समय पर न किये जाने के कारण रु 50.00 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मई 2006) उत्तर प्रतीक्षित था।

3.3 भविष्य निधि, अंशदायी पेंशन एवं सेवा परिलब्धियों के रु 22.47 करोड़ को क्रेडिट न किये जाने के कारण अनिस्तारित दायित्व

अकेन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि अंशदान/वसूली हेतु तथा पेंशन अंशदान हेतु काटी गई धनराशि को प्रतिमाह सम्बन्धित कर्मचारी के बैंक खाते में जमा की जानी चाहिए।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि भविष्य निधि तथा पेंशन अंशदान की धनराशि रु 22.32 करोड़ वर्ष 1994 से 2005 तक सम्बन्धित खातों में जमा नहीं की गयी थी। सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों को उपादान की धनराशि रु 0.15 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था। विवरण निम्नवत् है:—

(रु करोड़ में)

इकाई का नाम	मद	धनराशि	अवधि जमा से भविष्य निधि, पेन्शन अंशदान की खाते में जमा किया जाना	ब्याज मार्च 2006 तक
नगर निगम, कानपुर	भविष्य निधि	16.42	मार्च, 2004 तक	2.73
नगर निगम, इलाहाबाद	भविष्य निधि	04.06	दिसम्बर, 2002 तक	1.17
नगर पालिका परिषद, सीतापुर	भविष्य निधि	00.57	फरवरी, 2005 तक	0.05
नगर पंचायत, जसराना फिरोजाबाद	भविष्य निधि	00.16	जनवरी 1997 तक	0.21
नगर पंचायत, खागा फतेहपुर	भविष्य निधि	00.13	अक्टूबर 2002 तक	0.04
नगर पालिका परिषद, सीतापुर	पेन्शन अंशदान	00.98	नवम्बर 1994 से जनवरी 1998 तक	—
नगर पालिका परिषद मऊ	सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों का उपादान	00.15	मार्च 1984 से दिसम्बर 2003 तक	—
योग—		22.47		4.20

सम्बन्धित नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि निधियों के अभाव के कारण सम्बन्धित कर्मचारियों के खाते में धनराशि नहीं जमा की जा सकी थी। उत्तर में इन तथ्यों का, कि कर्मचारियों के वेतन से की गई कटौतियों को अनधिकृत रूप में अन्य कार्यों पर व्यय किया गया था, की पुष्टि का संकेत था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2006), उत्तर प्रतीक्षित था।

3.4 स्टाम्प शुल्क अनारोपण/कम आरोपण किए जाने के कारण रु 12.24 लाख की राजस्व क्षति

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (संशोधित) के अनुसार टेके की अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क रु 80.00 प्रति हजार की दर से आरोपित की जानी चाहिए।

छ: नगर पालिका परिषद और सात नगर पंचायत की नमूना जाँच में विभिन्न कार्यों हेतु टेका वर्ष 2001-05 में प्रदान किया गया, अनुबन्ध निर्धारित दर के स्टाम्प पेपर नहीं किया गया जिससे रु 12.24 लाख का अनारोपण/कम स्टाम्प पेपर पर लगाये जाने के कारण राजस्व क्षति हुई (परिशिष्ट-7)।

3.5 रु0 8.54 करोड़ के अग्रिम का समायोजन/वसूली न किया जाना

कर्मचारियों को दिए गए अस्थाई अग्रिमों का समायोजन वित्तीय वर्ष के अन्त में किया जाना अपेक्षित था। असमायोजित अग्रिम की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के ब्याज सहित की जानी चाहिए।

तीन नगर निगम और चार नगर पालिका परिषद में कार्य अग्रिम रु 8.54 करोड़ का धनराशि असमायोजित रही। इन असमायोजित अग्रिमों पर ब्याज की धनराशि रु 3.84 करोड़ निम्नवत् थी:-

(रु0 लाख में)

इकाई का नाम	1 से 5 (वर्ष)	5 से 10 (वर्ष)	10 से 15 (वर्ष)	15 से 20 (वर्ष)	25 (वर्ष) से अधिक	योग	10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज
नगर निगम, गोरखपुर	285.19	52.16	56.64	91.78	7.20	492.97	301.67
नगर निगम, गाजियाबाद	285.97	4.66	0	0	0	290.63	58.53
नगर निगम, इलाहाबाद	33.76	10.88	2.50	0	0	47.14	10.83
नगर पालिका परिषद सीतापुर	3.26	2.00	0.49	0	0	5.75	3.22
नगर पालिका परिषद, चरखारी (महोबा)	1.80	0.59	0.08	0	0.78	3.25	1.39
नगर पालिका परिषद, सुल्तानपुर	6.61	0.15	0.18	1.87	0	8.81	5.96
नगर पालिका परिषद, बस्ती	4.84	0.96	0	0	0	5.80	2.42
योग	621.43	71.40	59.89	93.65	7.98	854.35	384.02

इससे स्पष्ट है कि शहरी निकायों में आंतरित नियन्त्रण अपर्याप्त था। कुछ कर्मचारियों के सेवानिवृत्त/मृत/स्थानान्तरित हो जाने के कारण पुराने अग्रिमों की वसूली की सम्भावना कम थी। आंतरिक नियन्त्रण की मजबूत अनुश्रवण प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिससे उक्त अग्रिमों के त्वरित समायोजन/वसूली/बट्टे खाते में डाले जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता थी। यदि कोई धनराशि वसूली योग्य न हो तो राज्य सरकार द्वारा बट्टे खाते में डालने की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता थी।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2006) उत्तर प्रतीक्षित था।

3.6 रु. 26.64 लाख का निष्फल व्यय

लघु एवं मध्यम शहरों के एकीकृत विकास हेतु आकलन रिपोर्ट (जनवरी 1997) के आधार पर केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा तीन परियोजनाओं[♥] पर रु 1.09 करोड़ रुपये^{*} की स्वीकृति (1999-2000) नगर पंचायत केमरी, जनपद रामपुर को दी गई थी। आर्थिक रूप से सक्षम होने के अतिरिक्त आकलन रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन टाउन की

[♥] वाणिज्यिक योजनाएँ, यातायात एवं परिवहन योजनाएँ, विविध योजनाएँ।

^{*} वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रु 48.00 लाख राज्य सरकार द्वारा रु 32.00 लाख और वित्तीय संस्थाओं का रु 28.76 लाख अंश था।


तात्कालिक आवश्यकताओं जैसे वाणिज्यिक परिवहन एवं नागरिक समस्याओं को पूर्ण करने वाले थे।

अभिलेखों की जाँच से पाया गया (अक्टूबर 2005) कि इन योजनाओं की सक्षमता का आकलन तथा स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण भी किए बिना आर्थिक योजनान्तर्गत 83 दुकानों व 2 गोदामों के निर्माण हेतु रु 65.38 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया था। रु 26.66 लाख की प्रथम किस्त (16.00 लाख केन्द्र सरकार से तथा 10.66 लाख राज्यांश) अप्रैल 2001 में अवमुक्त की गयी। रु 53.33 लाख की द्वितीय किस्त (केन्द्र सरकार के रु 32.00 लाख एवं राज्यांश राज्य सरकार के रु 21.33 लाख) मार्च 2004 में अवमुक्त की गयी। नगर पंचायत द्वारा पंचायत कार्यालय के पीछे मितक बिलासपुर रोड पर कुल रु 26.64 लाख कीमत से 39 भूतल मंजिली दुकानों का निर्माण कराया गया (फरवरी, 2003)। दो अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं कराया गया। यह भी देखा गया कि 39 निर्मित दुकानों के विरुद्ध केवल 10 दुकानों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। हालांकि ये 10 दुकानों को भी आवंटित नहीं किया जा सका क्योंकि इन्हें मिलकपुर विलासपुर रोड पर लोक निर्माण विभाग की रोड चौड़ाई के अन्दर निर्मित कराया गया था, इस प्रकार किसी भी निजी दुकान का आवंटन नहीं हो सका था और सभी खाली पड़ी थी परिणामस्वरूप सितम्बर 2005 तक रु 3.60 लाख किराया की क्षति हुई।

इस प्रकार योजना के आर्थिक परिदृश्य का आकलन किये बिना उचित नियोजन के अभाव के कारण 26.64 लाख का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त रु 3.60 लाख किराया क्षति हुई।


यह प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2006), उत्तर प्रतीक्षित की थी।

इलाहाबाद
दिनांक: 31 दिसम्बर, 2007


(तारा चन्द चौहान)
उपमहालेखाकार (स्थानीय निकाय)

प्रतिहस्ताक्षरित

इलाहाबाद
दिनांक: 31 दिसम्बर, 2007


(नरेन्द्र सिंह)
प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)
उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट-1

(संदर्भ : अध्याय-1 प्रस्तर 1.10 वित्तीय स्थिति पृष्ठ संख्या-7)

नगर निगमों की वित्तीय स्थिति वर्ष 2004-05

(रु० लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	जनपद	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
1	इलाहाबाद	इलाहाबाद	784.74	4601.84	5386.58	3576.77	1809.81
2	गाजियाबाद	गाजियाबाद	1628.34	6471.27	8099.61	7043.11	1056.50
3	गोरखपुर	गोरखपुर	1048.47	3430.00	4478.47	3376.55	1101.92
4	लखनऊ	लखनऊ	6298.91	12114.45	18413.36	11692.96	6720.40
5	मेरठ	मेरठ	798.36	5114.00	5912.36	4694.88	1217.48
योग			10558.82	31731.56	42290.38	30384.27	11906.11

परिशिष्ट-2

(संदर्भ : अध्याय-1 प्रस्तर 1.10 वित्तीय स्थिति पृष्ठ संख्या-7)

नगर पालिका परिषदों की वित्तीय स्थिति वर्ष 2004-05

(रु० लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	जनपद	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
1	अछनेरा	आगरा	37.78	86.98	124.76	110.37	14.39
2	एतमादपुर	आगरा	22.62	64.64	87.26	71.49	15.77
3	समसाबाद	आगरा	61.03	139.83	200.86	163.78	37.08
4	मुबारकपुर	आजमगढ़	52.93	271.24	324.17	211.53	112.64
5	बलिया	बलिया	343.53	694.75	1038.28	503.56	534.72
6	बस्ती	बस्ती	35.68	409.79	445.47	339.07	106.40
7	फैजाबाद	फैजाबाद	97.96	628.31	726.27	562.12	164.15
8	संदी	हरदोई	33.71	103.56	137.27	122.34	14.93
9	सण्डीला	हरदोई	38.79	169.97	208.76	187.46	21.30
10	खलीलाबाद	खलीलाबाद	48.10	206.8	254.90	192.56	62.34
11	गोला गोकारान	लखीमपुर खीरी	114.80	251.32	366.12	232.57	133.55
12	चरखारी	महोबा	19.77	100.97	120.74	96.25	24.49
13	मऊ	मऊ	83.42	808.27	891.69	621.38	270.31
14	गोपीगंज	संत रविदास नगर	27.66	64.12	91.78	76.11	15.67
15	सीतापुर	सीतापुर	83.17	585.95	669.12	505.64	163.48
16	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	143.50	385.75	529.25	446.92	82.33
योग			1244.45	4972.25	6216.70	4443.15	1773.55

परिशिष्ट-3

(संदर्भ : अध्याय-1 प्रस्तर 1.10 वित्तीय स्थिति पृष्ठ संख्या-7)

नगर पंचायतों की वित्तीय स्थिति वर्ष 2004-05

(रु० लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	जनपद	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
1	दयालबाग	आगरा	23.58	24.50	48.08	15.65	32.43
2	स्वामीबाग	आगरा	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31
3	हंडिया	इलाहाबाद	53.95	65.41	119.36	71.74	47.62
4	लाल गोपालगंज	इलाहाबाद	34.63	82.19	116.82	68.97	47.85
5	मउआइमा	इलाहाबाद	14.29	65.87	80.16	37.33	42.83
6	फूलपुर	इलाहाबाद	26.94	39.99	66.93	42.99	23.94
7	शंकरगढ़	इलाहाबाद	20.19	25.70	45.89	25.69	20.20
8	अजमतगढ़	आजमगढ़	7.48	67.55	75.03	26.48	48.55
9	निजामाबाद	आजमगढ़	19.12	33.17	52.29	38.68	13.61
10	जारवाल	बहराइच	22.65	41.52	64.17	38.58	25.59
11	रिसिया	बहराइच	78.67	23.29	101.96	65.19	36.77
12	बिसारतगंज	बरेली	13.28	24.17	37.45	41.58	- 4.13
13	मीरगंज	बरेली	5.41	60.85	66.26	24.66	41.60
14	रिच्छा	बरेली	23.03	52.54	75.57	43.84	31.73
15	शेरगढ़	बरेली	28.19	30.48	58.67	0.00	58.67
16	गोसाईगंज	फैजाबाद	10.28	64.41	74.69	46.58	28.11
17	खागा	फतेहपुर	12.04	15.30	27.34	26.40	0.94
18	फरीहा	फिरोजाबाद	15.60	20.77	36.37	25.77	10.60
19	जसराना	फिरोजाबाद	24.16	24.71	48.87	16.40	32.47
20	सादात	गाजीपुर	6.88	25.29	32.17	22.75	9.42
21	सैदपुर	गाजीपुर	7.61	64.31	71.92	60.72	11.20
22	खेतासाराय	जौनपुर	36.65	107.05	143.70	99.14	44.56
23	जाफाराबाद	जौनपुर	9.33	29.28	38.61	34.81	3.80
24	गोसाईगंज	लखनऊ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

25	माहोना	लखनऊ	1.55	60.16	61.71	11.76	49.95
26	कछवा	मिर्जापुर	7.75	56.30	64.05	38.58	25.47
27	कैमरी	रामपुर	83.14	87.44	170.58	28.64	141.94
28	शाहाबाद	रामपुर	54.48	85.76	140.24	104.74	35.50
29	ज्ञानपुर	संत रविदास नगर	6.78	43.63	50.41	27.98	22.43
30	इकाउना	श्रावस्ती	27.33	52.91	80.24	70.59	9.65
31	कादीपुर	सुल्तानपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	गंगापुर	वाराणसी	21.76	37.66	59.42	25.54	33.88
योग			697.06	1412.21	2109.27	1181.78	927.49

परिशिष्ट-4

(प्रस्तर संख्या 2.6.2.2; पृष्ठ सं०-16)

सफाई कर्मियों के करार पर लगाने से अनियमित व्यय

(रु० करोड़ में)

वर्ष	नगर निगम लखनऊ	नगर निगम गाजियाबाद
2001-02	0.64	1.87
2002-03	1.04	2.49
2003-04	1.77	2.99
2004-05	2.05	3.88
योग	5.50	11.23

परिशिष्ट-5

(प्रस्तर संख्या 2.6.3.3: पृष्ठ सं०-18)

नगर पालिका ठोस अपशिष्टों का परिवहन

नगर निगम	वाहन का प्रकार	प्रयोग में लगाये गये वाहनों की संख्या	वाहन की क्षमता (मी० टन में)	प्रतिदिन चक्करों की संख्या	प्रतिदिन कुल एम०एस० डब्ल्यू० परिवहन क्षमता (मी०टन में)
लखनऊ	टाटा टाइपर (1210,1612,1613)	18	6	6	648
	टाटा टाइपर (709)	6	4	7	168
	टाटा टाइपर (2516)	8	10	4	320
	टाटा टाइपर (207)	3	2	12	72
	ली लेण्ड टाइपर	10	6	6	320
	ट्रैक्टर, ट्राली	11	2	3	66
	डम्पर प्लेसर	3	2	4	24
	रिफ्यूजड कन्टेनर	4	10	4	160
	विक्रम	42	1	4	168
योग					1986
गोरखपुर	टाइपर	8	6	5	240
	ट्रैक्टर, ट्राली	16	2	4	128
	डम्पर प्लेसर	2	4.5	12	108
	रिफ्यूजड कन्टेनर	3	10	3	90
योग					566
गाजियाबाद	टाइपर	18	5	5	450
	डम्पर प्लेसर	16	4.5	6	432
	ट्रैक्टर, ट्राली	27	2.5	3	202.50
	रिफ्यूजड कन्टेनर	4	6	2	48
योग					1132.50

परिशिष्ट-6

(संदर्भ : अध्याय-3.1 (ब); पृष्ठ संख्या-28)

नगर निगम मेरठ की योजनाओं की सूची

क्र० सं०	एजेन्सी का नाम	योजना का नाम	एरिया (मी० ²)	लागत (रु० करोड़ में)
1	मेरठ विकास प्राधिकरण	शताब्दीनगर	225750	72.11
2	..	पल्लवपुरम	52260	11.68
3	..	गंगानगर	221460	33.68
4	..	रक्षापुरम	4660	0.64
5	उत्तर प्रदेश हाउसिंग एवं विकास परिषद	शास्त्रीनगर योजना नं० 3	48270	15.69
6	..	शास्त्रीनगर योजना नं० 7	46430	6.04
7	..	जाग्रति विहार योजना नं० 6	35720	4.64
8	..	मंगल पाण्डेय नगर योजना	2188	0.33
योग			636738	144.81

परिशिष्ट-7

(संदर्भ : अध्याय-3.4; पृष्ठ संख्या-30)

स्टाम्प शुल्क अनारोपण/कम आरोपण किये जाने से रु0 12.24 लाख राजस्व की क्षति

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	जनपद	वर्ष	लीज की टेण्डर मूल्य	स्टाम्प ड्यूटी आवश्यक	जमा	स्टाम्प से क्षति
1	फरीहा (एन.पी.) ⁴	फिरोजाबाद	2004-05	222000	17760	4500	13260
2	जसराना (एन.पी.)	फिरोजाबाद	2004-05	124000	9920	0	9920
3	सदात (एन.पी.)	गाजीपुर	2003-04	48260	3861	0	3861
4	काछावा (एन.पी.)	मिर्जापुर	2003-04	185000	14800	0	14800
5	शाहबाद (एन.पी.)	रामपुर	2002-05	3283400	92256	100	92156
6	निजामाबाद (एन.पी.)	आजमगढ़	2003-05	1305000	104400	12450	91950
7	फूलपुर (एन.पी.)	इलाहाबाद	2003-04	881000	88050	0	88050
8	गोपीगंज (एन.पी.पी.) ⁵	संतरविदास नगर	2001-04	3492684	279895	0	279895
9	मरु (एन.पी.पी.)	मरु	2003-04	4500000	360000	340000	20000
10	मुबारकपुर (एन.पी.पी.)	आजमगढ़	2004-05	1053000	84240	20	84220
11	अछनेरा (एन.पी.पी.)	आगरा	2003-05	1160000	92800	20000	72800
12	चरखारी (एन.पी.पी.)	माहोबा	2001-05	2760000	202800	800	202000
13	बलिया (एन.पी.पी.)	बलिया	2003-05	3235000	258800	8000	250800
योग				22249344	1609582	385870	1223712

⁴ नगर पंचायत (एन.पी.)⁵ नगर पालिका परिषद (एन.पी.पी.)